न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– मनोज, (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 29 / 2023 (GCMS 2023/64)

प्रार्थीगण

1. मोहनलाल पुत्र बागाराम जाति जाट निवासी ग्राम अड़कसर तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
2. राजूराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी ग्राम अड़कसर तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण

1. बिमला देवी पत्नि सोहनलाल जाति जाट निवासी अड़कसर तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।
2. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा अड़कसर तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) उप धारा 02 राज. काश्त. अधि. 1955

उपस्थित – श्री जगदीश प्रसाद नेहरा एवं बिरमाराम अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधि. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 05/09/2023

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम अड़कसर पटवार मण्डल अड़कसर तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 600 रकबा 4.96 हैक्टर प्रार्थीगण की संयुक्त खाते में अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज चली आ रही है, जिसमें आने जाने के लिए अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 601 रकबा 5.12 हैक्टर में से उत्तरी सींव के सहारे–सहारे पश्चिम से पूर्व की तरफ 336 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई कुल क्षेत्रफल 1680 वर्ग मीटर अर्थात 0.1680 हैक्टर भूमि का रास्ता चाहा है, चाहे गये रास्ते का अंकन प्रस्तुत नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है, चाहा गया रास्ता राजस्व रेकार्ड में कृषि भूमि दर्ज है, जो अप्रार्थी के नाम खातेदारी अधिकारो में दर्ज चली आ रही हे, इसके अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है, प्रार्थीगण को अपने खेत में पहुंचने हेतु अप्रार्थी की भूमि में से बताये गये उपरोक्त विवरण के रास्ते की पूर्ण आवश्यकता है, प्रार्थना पत्र में अंकित खातेदारी भूमि के बेहतर उपयोग हेतु प्रस्तुत न करते हुए खातेदारी भूमि के [illegible] व उपयोग के लिए पहुंच बाबत वांछनीय एक मात्र रास्ते के सम्बन्ध में आज्ञा [illegible] करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण की इस्तदुआ है कि प्रार्थीगण की [illegible] स्थित भूमि ग्राम अड़कसर के खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:05:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

नम्बर 600 में आने जाने के लिये अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि ग्राम अड़कसर के खसरा नम्बर 601 रकबा 5.12 किस्म चाही द्वितीय जाव द्वितीय भूमि में से उत्तरी सींव के सहारे–सहारे पश्चिम से पूर्व की तरफ 336 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई कुल 1680 वर्ग मीटर अर्थात 0.1680 हैक्टर भूमि का रास्ता दिलाया जावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 01 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ, शामिल मिसल उपलब्ध है। अप्रार्थी सं. 02 की ओर से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, जो शामिल मिसल उपलब्ध है।

अप्रार्थी सं 01 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीगण ने वास्तविक तथ्य छुपाते हुये प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज है, प्रार्थीगण पिछले करीब 50 वर्षो से ग्राम अड़कसर के खसरा नम्बर 596 की उत्तरी सींव के सहारे–सहारे होते हुए मध्य से आवागमन करते है तथा उपरोक्त रास्ते के दोनो तरफ खाई लगी हुई है व सीवं पर बड़े–बड़े पेड़ लगे हुए है,जिसका जिक्र भू.अभिलेख निरीक्षक ने अपनी मौका रिपोर्ट में भी किया है तथा वर्तमान में प्रार्थीगण आवागमन भी इसी रास्ते से कर रहे है एंव मौके पर रास्ता चालू है, रास्ते के फोटोग्राफ जवाब प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत किया है। खसरा नम्बर 600 की खातेदारी प्रार्थीगण के अलावा अन्य सह खातेदार भी है लेकिन प्रार्थीगण ने अन्य सहखातेदार को प्रार्थना–पत्र में पक्षकारान नही बनाया है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है, प्रार्थीगण का अप्रार्थी सं. 1 के खेत में से कभी भी रास्ता नही रहा है तथा न ही वर्तमान में रास्ता चालू है, लेकिन बदनीयति से व राजनैतिक रंजिश से अप्रार्थी सं. 01 को महिला होने से परेशान करने की नियत से यह झूंठा प्रार्थना–पत्र न्यायालय में पेश किया गया है, प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के तीन रास्ते सुगम सहज ओर नजदीक अवस्थित है, प्रार्थीगण ने कही पर भी जिक्र नही किया है, प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 600 के दक्षिण में सटते ही खसरा नम्बर 610 की भूमि अवस्थित है जो राजस्व रेकार्ड में गै. मु. चारागाह है प्रार्थीगण उक्त भूमि में से भी आवागमन करते है जो सबसे कम दूरी का रास्ता है तथा एक ओर रास्ता प्रार्थीगण के ग्राम टोडास के खसरा नम्बर 623 गै.मु.गोचर की राजकीय भूमि स्थित है में से होकर भी है जो मुख्य सीकर रोड़ पर मिलता है जिसका नक्शा ट्रेस जवाब प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत किया गया है, प्रार्थीगण को अपने खेत में पहुंच के लिए पहले से खसरा नम्बर 596 की भूमि से रास्ता चालू है इसलिए अप्रार्थी सं. 01 की कब्जासुदा खातेदारी सुदा भूमि मे से नया रास्ता पाने के अधिकारी नही है, अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण मय हर्जे खर्चे के खारिज किया जावें तथा वर्तमान में प्रार्थीगण द्वारा उपयोग–उपभोग किये जा रहे [illegible] भूमि में से कायम किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:05:43 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार कुचामनसिटी अपने पत्रां[illegible] भू. / 2023 / 508 दिनॉक 27.07.2023 को फर्द मौका रिपोर्ट दिनॉक [illegible] किया है कि उपरोक्त भूमि का मौका देखा गया। ग्राम अड़कसर के खसरा नम्बर 600 रकबा 4.96 हैक्टर भूमि

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मोहनलाल पुत्र बागाराम गोपाल पुत्र जीवणराम बोदीदेवी पत्नि जीवणराम रतनलाल राजूराम पुत्र रूपाराम सुवटी पत्नि नारायणराम अमरीदेवी पत्नि रूपाराम जाट की खातेदारी मे दर्ज है,राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 600 में आने जाने हेतु कोई कटाणी रास्ता दर्ज नही है, जबकि वर्तमान में खसरा नम्बर 588 रकबा 0.52 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता से खसरा नम्बर 600 में आने–जाने के लिए मौके पर खसरा नम्बर 596 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे होते हुए मध्य से रास्ता चालू है जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है, तथा नजरी नक्शा मौका रिपोर्ट में निम्नवत अंकित किया गया है :–

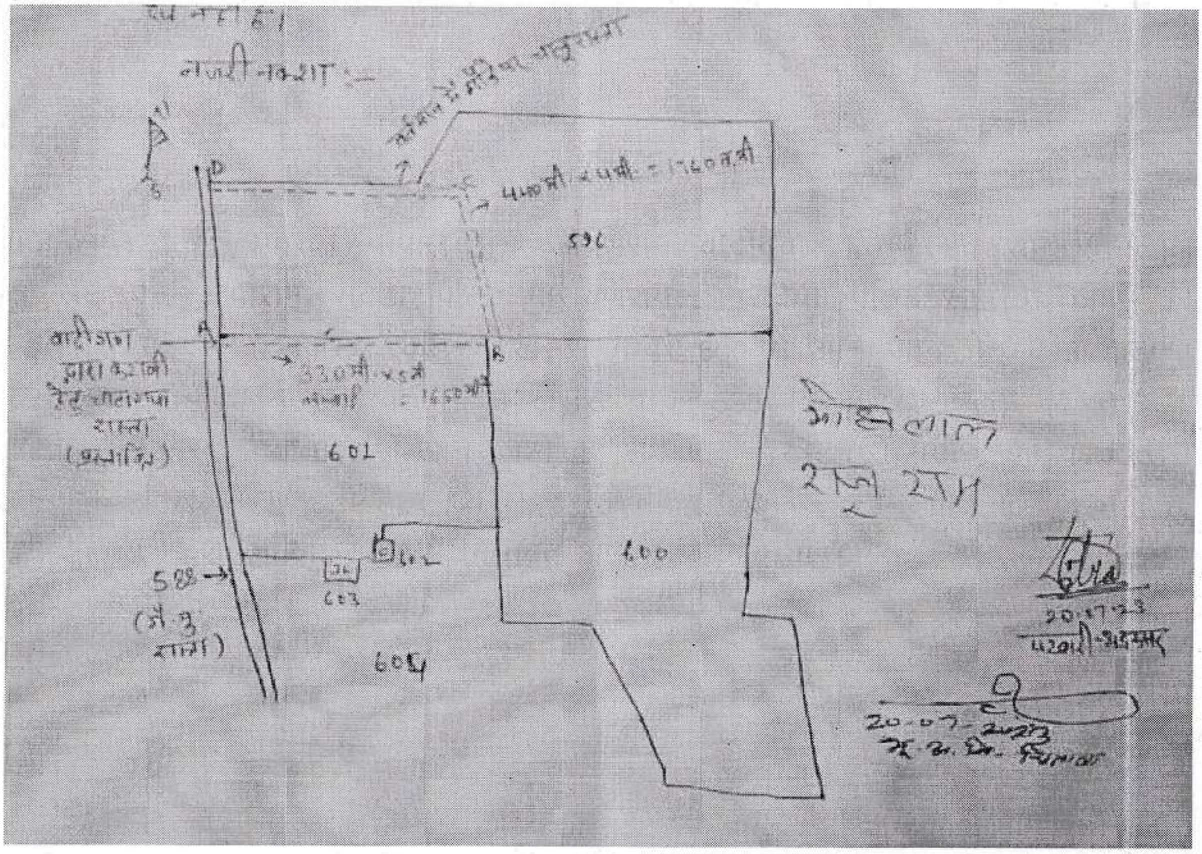

नजरी नक्शा तैयार किया गया, जिसके अनुसार खसरा नम्बर 596 में से होकर वर्तमान में चालू रास्ते (बिन्दू **D C B**) की कुल लम्बाई 440 मीटर चौड़ाई 04 मीटर कुल 1760 वर्ग मीटर भूमि रास्ते के रूप में उपयोग आ रही है। खसरा नम्बर 596 में कैलाशचन्द पुत्र छगनलाल वगैरह की खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 601 में से होकर चाहे गये रास्ते की लम्बाई 30 मीटर चौड़ाई 5 मीटर कुल 1650 वर्ग मीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है, खसरा नम्बर 601 की खातेदारी बिमला देवी पत्नि सोहनलाल जाति जाट के नाम दर्ज है।

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थीगण की ओर से जमाबंदी नकल , नक्शा ट्रेस की नकल प्रस्तुत की। अप्रार्थी सं. 01 की ओर से जमाबंदी नकल ग्राम अड़कसर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:05:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

खसरा नम्बर 610, 596 टोडास के खसरा नम्बर 623 की नकल एवं नक्शा ट्रेस ग्राम टोडास के खसरा नम्बर 623 सें संबंधित की नकल, नक्शा ट्रेस ग्राम अड़कसर के खसरा नम्बर 610 की नकल एवं फोटोग्राफ प्रस्तुत किये।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई, प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित मांग अनुसार एंव फर्द मौका रिपोर्ट दिनॉक 20.07.2023 में अंकित **A** से **B** बिन्दू से खसरा नम्बर 601 मे 330 मीटर लम्बाई तथा 5 मीटर चौड़ाई कुल 1650 वर्ग मीटर रास्ता कायम किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी वकील ने मौका रिपोर्ट दिनॉक 20.07.2023 में अंकित **D C B** बिन्दू अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता दिये जाने का बहस दौरान कथन किया है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 600 में आने जाने के लिए 3 वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है, तथा अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 601 मे से किसी भी प्रकार का कोई रेकर्डेड रास्ता नही है और न ही प्रार्थीगणो द्वारा रास्ता वर्षो से उपयोग किया जा रहा है।

प्रकरण पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मूल भावना से वंचित कृषको को रास्ता उपलब्ध करवाना है। इस धारा की आड़ में वैकल्पिक रास्ता होने की दशा में रास्ता दिये जाने का प्रावधान नही है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया तथा बहस पर अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 600 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 601 मे से रास्ता चाहा गया है, जिसके लिय मुआवजा राशि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशो अनुसार अदा करने को तैयार है। प्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा किये गये कथन बहस अनुसार खसरा नम्बर 600 में से आने जाने एवं वर्षो से रास्ते के उपयोग के तथ्य भी अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित नही किये है, फर्द मौका रिपोर्ट दिनॉक 20.07.2023 मे दर्शित रास्ता **B C D** वर्तमान में मौके पर रास्ता चालू है जिसका अंकन नजरी नक्शा में पटवारी हल्का निरीक्षक भू.अ. ने दर्शाया है। जमाबंदी नकल सम्वत 2076–2079 ग्राम अड़कसर के खाता संख्या 190 खसरा नम्बर 600 रकबा 4.96 हैक्टर में गोपालराम पुत्र जीवणराम जाट, झमरीदेवी पत्नि रूपाराम जाट, बोदीदेवी पत्नि जीवणराम जाट, मोहनलाल पुत्र बागराराम जाट, रतनलाल पुत्र रूपाराम जाट राजूराम पुत्र रूपाराम जाट सुवटी पत्नि नारायणराम जाट सा. देह खातेदार दर्ज है तथा केवल मात्र मोहनलाल एवं राजूराम द्वारा ही रास्ता बाबत प्रार्थना– पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि प्रश्नगत भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है 07 खातेदारान में से केवल मात्र 02 खातेदारान द्वारा यह रास्ता बाबत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो नियम विरूद्व है, चूँकि अभी यह भी तय नही है कि प्रार्थी खातेदारान की भूमि कहॉ पर स्थित है तो वे रास्ते की मांग नही कर सकते जब तक की उनकी खातेदारी का भू–विभाजन नही हो जाता या फिर समस्त खातेदारान द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाता तो अवश्य ही प्रार्थना–पत्र पर विचार किया जा सकता था। प्रस्तुत फोटोग्राफ से भी रास्ते के अलामात

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:05:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

नजर आ रहे है। ग्राम अड़कसर के खसरा नम्बर 610 गै.मु.गोचर मे भी प्रार्थीगण आना जाना करते है जो सबसे नजदीक भूमि है तथा ग्राम टोडास के खसरा नम्बर 623 गै.मु. गोचर भूमि जो इस खसरा नम्बर 600 के पास में एक खेत छोड़कर मुख्य सड़क सीकर कुचामन के नजदीक भी भूमि स्थित है जो प्रस्तुत राजस्व नक्शा ट्रेस से स्पष्ट जाहिर होती है, अप्रार्थी वकील ने अपनी बहस के दौरान भी तथ्यों से अवगत करवाया है कि प्रश्नगत भूमि के पूर्व से ही तीन वैकल्पिक रास्ते है इसलिए अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 601 में से रास्ता नही दिया जा सकता।

प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ग्राम अड़कसर के खसरा नम्बर 600 में अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए पूर्व से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तथा इसलिये प्रार्थीगण द्वारा सुवधि अनुसार चाहा गया रास्ता नही दिया जा सकता तथा प्रार्थीगण की भूमि संयुक्त रूप से खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जिसका विभाजन नही हुआ है केवल मात्र दो खातेदार/प्रार्थीगण द्वारा ही प्रार्थना–पत्र रास्ता बाबत प्रस्तुत किया गया है जो नियम विरूद्व है। अतः प्रार्थना–पत्र साबित नही होने से काबिल खारिज है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनॉक 05/09/2023 को सरे इजलास सुनाय गया।

(मनोज, **RAS**)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:05:43 IST
Reason: SelfAttested

R. ________
28/8/2023

कार्यालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर –राज0

क्रमांक / राजस्व / 2023 / 508 दिनांक :– 27-07-23

प्रेषित :–

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

कुचामन सिटी

विषय :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 29 / 2023 GCMS 2023/64 मोहनलाल बनाम विमला देवी अड़कसर अन्तर्गत धारा 251''ए'' आर.टी.एक्ट. रास्ता बाबत में मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

प्रसंग :– श्रीमान के कार्यालय पत्रांक कोर्ट / 2023 / 95–96 दिनांक 27.06.2023 के संदर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन कि राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 29 / 2023 GCMS 2023/64 मोहनराम बनाम विमलादेवी अड़कसर वगैराह अन्तर्गत धारा 251''ए'' आर.टी.एक्ट. रास्ता बाबत ग्राम अड़कसर खसरा नम्बर 600 व 601 प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरान की मौका रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक चितावा व पटवारी हल्का अड़कसर द्वारा तैयार करवाई जाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न : मूल मौका रिपोट।

तहसीलदार,कुचामन सिटी
जिला नागौर –राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:05:43 IST
Reason: SelfAttested

मौका रिपोर्ट

(धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत)

मैं हरलाल सिंह कुडी भू. अभिलेख निरिक्षक वृत चितावा म. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महो. कुचामन सिटी के आदेश क्रमांक | कोर्ट | 2023 | 95-96 दि. 27.06.2023, राजस्व प्रा. पत्र से. 29/2023 GLMS 2023/64 मोहनलाल बनाम बिमलादेवी अडकसर वगै. तथा कार्यालय तहसीलदार कुचामन सिटी के आदेश क्रमांक | राजस्व | 2023 | 09 दि. 05.07.2023 की पालना में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज दिनांक 20/07/2023 समय 12.30PM बजे आराजी ख.न. 601, 600 वाके ग्राम अडकसर पटवार मण्डल-अडकसर पर श्री नरेन्द्र कुमार बिजारणियां पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

ग्राम अडकसर का ख.न. 600 रकबा 4.96 है. भूमि मोहनलाल पुत्र बागाराम, गोपाल पुत्र जीवणराम, कौशीदेवी पत्नि जीवणराम, रतनलाल, राजूराम पुत्र रूपाराम, सुवटी पत्नि नारायणराम, अमरी देवी पत्नि रूपाराम जाति जाट की खातेदारी में दर्ज है। राजस्व रेकर्ड में ख.नं. 600 में आने जाने हेतु कोई पुराणी रास्ता दर्ज नहीं है। जबकि वर्तमान में ख.न. 588 रकबा 0.52 है. किस्म गै.मु. रास्ता से खसरा न. 600 में आने जाने के लिए मौके पर ख.न. 596 की उतरी सीमा के सहारे-सहारे होते हुए मध्य में से रास्ता चालू है, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है।

नजरी नक्शा :-

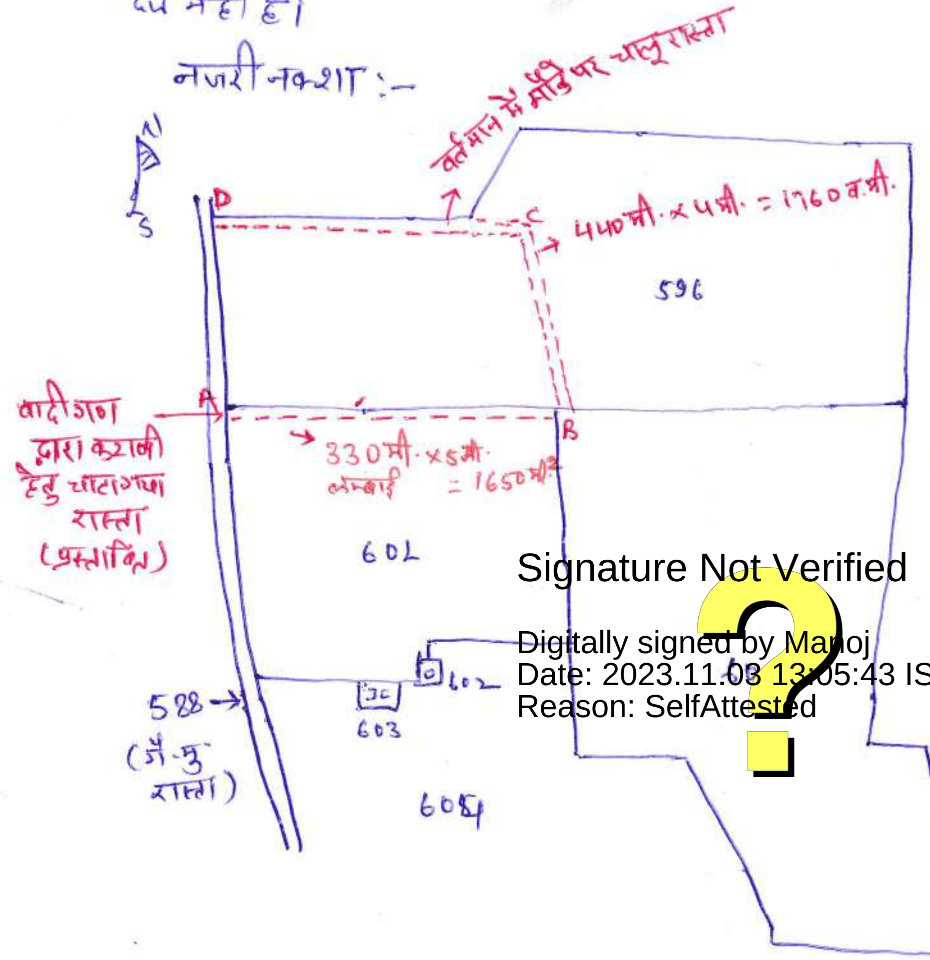

मोहन लाल
रतन राम

20.07.23
पटवारी-अडकसर

20-07-2023
भू. अ. नि. चितावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:05:43 IST
Reason: SelfAttested

नजरी नक्शा अनुसार खसरा न. 596 में से होकर वर्तमान में चालू रास्ते (बिन्दु DCB) की कुल लम्बाई 440 मी. व चौड़ाई 4 मी. कुल 1760 वर्ग मीटर भूमि रास्ते के रूप में उपयोग आ रही है। ख.न. 596 संलग्न जमाबंदी अनुसार कैलाशचन्द पुत्र छगनलाल वगैरह की खातेदारी में दर्ज है।
~~वादीगण~~

वादीगण द्वारा ख.न. 601 में से होकर चाहे गये रास्ते की लम्बाई 330 मी. चौड़ाई 5 मी. कुल 1650 वर्ग मीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है। ख.न. 601 की खातेदारी बिमलादेवी पत्नि सोहनलाल जातिजाट के नाम दर्ज है।

धारा 251(A) RT Act रास्ता बाबत मौका रिपोर्ट तैयार कर उचित कार्यवाही हेतु श्रीमानजी की सेवामें सादर पेश है।

(हस्ताक्षर)
20-07-2023
भू. अ. नि. चिताणा

(हस्ताक्षर)
20.07.2023
पटवारी-अडकसर

मोहनलाल
राजूराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:05:43 IST
Reason: SelfAttested